कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
171, पुराना मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद–211002

सं0 20256 /दस–लाइसेंस–367/खण्ड–2 सुझाव आबकारी नीति/2010–11

दिनांक:इलाहाबाद: मार्च 04 ,2010

संशोधित विज्ञप्ति

वर्ष 2010–11 में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, माडल शाप्स एवं भांग की थोक/फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रसारित विज्ञप्ति संख्या–19768/दस–लाइसेंस–367 दिनांक 28.02.2010 के द्वारा प्रकाशित समय सारणी के बिन्दु–1(iii) व (iv) तथा बिन्दु–2 (i), (ii) व (iii) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

(iii)	उपरोक्त समस्त दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्रों का वितरण दिनांक 06–03–2010 से दिनांक **16–03–2010** को अपरान्ह 13.00 बजे तक करने एवं भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन	
(iv)	**नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि**	**16.03.2010 के अपरान्ह में 15.00 बजे तक**
	द्वितीय चरण	
2(i)	उपरोक्तानुसार नवीनीकरण के पश्चात अवशेष देशी /विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स तथा देशी शराब/विदेशी मदिरा, बीयर की नवसृजित दुकानों एवं नवसृजित माडल शाप्स के लिए वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/ निर्धारित लाइसेंस फीस पर व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी प्रकिया से आवेदन पत्र मांग कर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के संबंध में देशी शराब के प्रकरण में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, तद आधारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के संबंध में लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि को अंकित करते हुए आवेदन पत्र मांगने एवं लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का वितरण दिनांक **17–03–10** से प्रारम्भ कर दिनांक 22–03–10 को अपरान्ह 14.00 तक करने एवं सायं 17.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन।	**16.03.2010**

उक्त के अतिरिक्त एफ0एल0–2/2बी अनुज्ञापनों हेतु समय–सारणी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

एफ0एल0–2/2बी अनुज्ञापनों हेतु समय सारिणी

कमांक	**तिथि**	**कार्यकम**
1	05.03.2010 से 25.03.2010 तक	आवेदन करने की अवधि
2	08.03.2010 से 31.03.2010 तक	प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण तथा अनुज्ञापन निर्गमन

नोट :–

1– **इस कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 28.02.2010 उपरोक्तानुसार संशोधित समझी जाय। शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।**

2– **विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन सहित प्रदेश की समस्त भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी, स्थानीय स्तर पर विज्ञापन देकर, नियमानुसार दिनांक 18.03.2010 को सम्पन्न करायी जायेगी। इसके प्रश्चात्, (यदि कोई तिथि निर्धारित करनी हो तो जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्वयं नियम करेंगे।)**

ह0/-

(सुधीर एम0 बोबडे)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।